



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366 ]  
No. 366]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 2003/वैशाख 1, 1925  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 21, 2003/VAISAKHA 1, 1925

कृषि मंत्रालय  
( कृषि और सहकारिता विभाग )  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2003

**का.आ. 448(अ).**—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजनों के लिए विक्रय किए जाने वाले उन किस्मों के, जो नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, और उस प्रकार के, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, बीजों की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, संपूर्ण भारत के संबंध में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए या जैसा केन्द्रीय सरकार अन्यथा अधिसूचित करे, अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :—

सारणी		
क्र. सं.	किस्म	प्रकार
1	2	3
1.	सूरज (सी.एम.-350)	कहू
2.	गुजरात बैंगन लम्बा-1	बैंगन

[फा. सं. 17-63/2002-बीज-4]  
आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2003

**S. O. 448(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary

and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below of the kinds specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purpose of the said Act, for a period of fifteen years from the date of publication of this notification, or as the Central Government may otherwise notify, namely :—

TABLE

S. No.	Variety	Kind
(1)	(2)	(3)
1.	Sooraj (CM-350)	Pumpkin
2.	Gujarat Brinjal Long-1	Brinjal

[F. No. 17-63/2002-SD.IV]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.